सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 04, शुक्रवार, *शाके* 1947- सितम्बर 26, 2025 Asvina 04, Friday, Saka 1947- September 26, 2025	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 24, 2025

संख्या प.2(20)विधि/2/2025.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 17)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को प्राप्त हुई)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) धारा 2(i) और धारा 5, 1 अप्रेल, 2025 से प्रभावी हुई समझी जायेंगी।

(3) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे किसी उपबंध में के किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) खण्ड (61) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम स. 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन", 1 अप्रेल 2025 से प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) खण्ड (69) में,-

(क) उप-खण्ड (ग) में, आयी विद्यमान अभिव्यक्तियों "नगरपालिका या स्थानीय निधि" के स्थान पर "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ख) विद्यमान उप-खण्ड (ग) के पश्चात् और विद्यमान उप-खण्ड (घ) से पूर्व, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण.-** इस उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए-

(क) "स्थानीय निधि" से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन और जिसमें किसी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, के उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने की, शक्तियां विधि द्वारा निहित हों, कोई निधि अभिप्रेत है;

(ख) "नगरपालिका निधि" से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन और जिसमें किसी कर, शुल्क, पथकर, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने की, शक्तियां विधि द्वारा निहित हों, कोई निधि अभिप्रेत है;"; और

(iii) विद्यमान खण्ड (116) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (117) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(116क) "विशिष्ट पहचान चिह्नांकन" से धारा 148क की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन अभिप्रेत है और इसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिह्न या उसी प्रकार का अन्य चिह्नांकन, जो विशिष्ट, सुरक्षित और नही हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित है;"।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 12 की विद्यमान उप-धारा (4) हटायी जायेगी।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 13 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 13 की विद्यमान उप-धारा (4) हटायी जायेगी।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रेल, 2025 से,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।"।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जायेगी, यदि,-

(i) जहां ऐसा प्राप्तिकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमा पत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसका प्रतिलोम नहीं किया गया हो; या

(ii) अन्य दशाओं में, ऐसे प्रदाय पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है।"।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 38 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान शब्द "स्वत:जनित" हटाया जायेगा।

(ii) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन स्वत:जनित" के स्थान पर अभिव्यक्ति "में निर्दिष्ट" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (क) में, विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा;

(ग) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ब्यौरों के मद्दे" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ब्यौरों के कारणों सहित" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(घ) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किये जायें।"।

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये," के स्थान पर अभिव्यक्ति ", ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें," प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 107 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी, जब तक अपीलकर्ता द्वारा, उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का, संदाय नहीं कर दिया गया हो।"।

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 112 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (8) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश की दशा में, ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा, धारा 107 की उप-धारा (6) के परन्तुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त, उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि, का संदाय नही कर दिया गया हो।"।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की नई धारा 122ख का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 122क के पश्चात् और विद्यमान धारा 123 से पूर्व, निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**122ख. खोज और अनुसरण क्रियाविधि के अनुपालन में असफल रहने पर शास्ति.-** इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 148क की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त, एक लाख रुपये या ऐसे माल पर संदेय कर के दस प्रतिशत के बराबर रकम, जो भी अधिक हो, की शास्ति का संदाय करने के लिये दायी होगा।"।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की नई धारा 148क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 148 के पश्चात् और विद्यमान धारा 149 से पूर्व, निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**148क. कतिपय माल के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि.-** (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,-

(क) माल;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो ऐसे माल को कब्जे में रखते हैं या उसमें व्यवहार करते हैं,

को, जिन पर इस धारा के उपबंध लागू, होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) सरकार, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में,-

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किये जायें, विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकाने के लिए और इलेक्ट्रानिक भंडारण तथा इसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी; और

(ख) ऐसे माल के लिए विशिष्ट पहचान चिह्नांकन को, उसमें अभिलिखित की जाने वाली सूचना सहित, विहित कर सकेगी।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति,-

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर, ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति से, एक विशिष्ट पहचान चिह्नांकन चिपकायेगा;

(ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी सूचना और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों का संधारण करेगा;

(ग) ऐसे माल के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे, जिसमें पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत करेगा;

(घ) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो विहित की जाये।"।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,-

(i) पैरा 8 में, विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी से पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागार जोन में भांडागारित माल का प्रदाय;";

(ii) **स्पष्टीकरण 2** में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पैरा 8" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति, "के प्रयोजनों" से पूर्व, अभिव्यक्ति "के खण्ड (क)" अंत:स्थापित की जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित की गयी समझी जायेगी।

(iii) इस प्रकार संशोधित **स्पष्टीकरण 2** के पश्चात्, निम्नलिखित नया **स्पष्टीकरण 3** अंत:स्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण 3.**- पैरा 8 के खण्ड (कक) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियों "विशेष आर्थिक जोन", "मुक्त व्यापार भांडागार जोन" और "स्वदेशी टैरिफ क्षेत्र" के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमश: विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) की धारा 2 में समनुदेशित किये गये हैं।"।

14. संगृहीत कर का प्रतिदाय न किया जाना.- समस्त ऐसे संगृहीत करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किये गये होते, यदि धारा 13 समस्त तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

ब्रजेन्द्र जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 24, 2025

No. F. 2(20)Vidhi/2/2025.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Maal aur Seva Kar (Dviteeya Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (2025 Ka Adhiniyam Sankhyank 17):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2025

(Act No. 17 of 2025)

(Received the assent of the Governor on the 23rd day of September, 2025)

An
Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2025.

(2) Section 2 (i) and section 5 shall be deemed to have been effective from 1st day of April, 2025.

(3) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in clause (61), after the existing expression "section 9" and before the existing punctuation mark ",", the expression "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act,2017 (Central Act No. 13 of 2017)" shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2025;

(ii) in clause (69),-

(a) in sub-clause (c), after the existing expression "management of a municipal" and before the existing expression "or local fund", the expression "fund" shall be inserted;

(b) after the existing sub-clause (c) and before the existing sub-clause (d), the following new Explanation shall be inserted, namely:-

"**Explanation**.- For the purposes of this sub-clause-

(a) "local fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;

(b) "municipal fund" means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;"; and

(iii) after the existing clause (116) and before the existing clause (117), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(116A) "unique identification marking" means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;".

3. Amendment of section 12, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing sub-section (4) of section 12 of the principal Act, shall be deleted.

4. Amendment of section 13, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing sub-section (4) of section 13 of the principal Act, shall be deleted.

5. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 20 of the principal Act, with effect from the 1st day of April, 2025,-

(i) in sub-section (1), after the existing expression "section 9" and before the existing punctuation mark ",", the expression "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act,2017 (Central Act No. 13 of 2017)" shall be inserted;

(ii) in sub-section (2), after the existing expression "section 9" and before the existing expression "paid by a distinct person", the expression "of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act No. 13 of 2017)," shall be inserted.

6. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing proviso to sub-section (2) of section 34 of the principal Act, shall be substituted, namely:-

"Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the-

(i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or

(ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.".

7. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 38 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the existing expression "an auto-generated statement", the expression "a statement" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2),-

(a) for the existing expression "auto-generated statement under", the expression "statement referred in" shall be substituted;

(b) in clause (a), the existing word "and" shall be deleted;

(c) in clause (b), after the existing expression "by the recipient," and before the existing expression "on account of", the word "including" shall be inserted;

(d) after clause (b) so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(c) such other details as may be prescribed.".

8. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 39 of the principal Act, for the existing expression "and within such time", the expression "within such time, and subject to such conditions and restrictions" shall be substituted.

9. Amendment of section 107, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing proviso to sub-section (6) of section 107 of the principal Act, shall be substituted, namely:-

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty has been paid by the appellant.".

10. Amendment of section 112, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (8) of section 112 of the principal Act, for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after sub-section (8) so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of section 107 has been paid by the appellant.".

11. Insertion of new section 122B, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 122A and before the existing section 123 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**122B. Penalty for failure to comply with track and trace mechanism.-** Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher.".

12. Insertion of new section 148A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 148 and before the existing section 149 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**148A. Track and trace mechanism for certain goods.-** (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,-

(a) the goods;

(b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods,

to which the provisions of this section shall apply.

(2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),-

(a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and

(b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.

(3) The persons referred to in sub-section (1), shall,-

(a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;

(b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;

(c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;

(d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2),

as may be prescribed.".

13. Amendment of Schedule III, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In Schedule III to the principal Act,-

(i) in paragraph 8, after the existing clause (a) and before the existing clause (b), the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

"(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;";

(ii) in Explanation 2, after the existing expression "For the purposes of" and before the existing expression "paragraph 8", the expression "clause (a) of" shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017;

(iii) after Explanation 2 so amended, the following new Explanation 3 shall be inserted and shall be deemed to have been added with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

"**Explanation 3.-** For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions "Special Economic Zone", "Free Trade Warehousing Zone" and "Domestic Tariff Area" shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No. 28 of 2005).".

14. No refund of tax collected.- No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had section 13 been in force at all material times.

ब्रजेन्द्र जैन,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।